

छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग - दो

गुरुवार, दिनांक 16 मार्च, 2023 (फाल्गुन 25, 1944)

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का द्वितीय प्रतिवेदन

दिनांक 16 मार्च, 2023 को सदन द्वारा गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के द्वितीय प्रतिवेदन में निहित सिफारिशों को स्वीकृति दी गई तदनुसार निम्नलिखित कार्य के लिए उनके सम्मुख अंकित समय नियत किया गया है :-

शुक्रवार, दिनांक 17 मार्च, 2023 हेतु नियत अशासकीय विधेयक/अशासकीय संकल्प

अशासकीय विधेयक क्र.	विषय	समय
1. (क्रमांक - 10)	छत्तीसगढ़ सामाजिक बहिष्कार (रोकथाम, निषेध एवं निवारण) विधेयक 2021 (क्रमांक 10 सन् 2021) (प्रस्तुतकर्ता सदस्य : श्री सत्यनारायण शर्मा)	01 घण्टा
अशासकीय संकल्प क्र.	विषय	समय
1. (क्रमांक - 03)	सदन का यह मत है कि 'छत्तीसगढ़ में सस्ते एवं सुगम सार्वजनिक परिवहन की व्यवस्था की जाये'। (प्रस्तुतकर्ता सदस्य : श्री अजय चन्द्राकर)	20 मिनट
2. (क्रमांक - 05)	सदन का यह मत है कि "बिलासपुर न्यायधानी की विद्युत लाईनों को पूर्णतः अण्डर ग्राउंड किया जाये"। (प्रस्तुतकर्ता सदस्य : श्री धर्मजीत सिंह)	20 मिनट
3. (क्रमांक - 08)	सदन का यह मत है कि "छत्तीसगढ़ राज्य में सड़क दुर्घटना में मृत्यु होने पर प्राकृतिक आपदा के समान मुआवजा राशि प्रदान किया जाये"। (प्रस्तुतकर्ता सदस्य : श्री धरमलाल कौशिक)	20 मिनट
4. (क्रमांक - 12)	सदन का यह मत है कि "प्रदेश में सर्व वृद्धा पेंशन योजना के अंतर्गत 60 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों को 1000 रुपये प्रतिमाह 75 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों का 1500 रुपये प्रतिमाह सर्व विधवा पेंशन योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ की सभी विधवा परित्यक्तता महिलाओं को 1000 रुपये प्रतिमाह पेंशन दिया जावे"। (प्रस्तुतकर्ता सदस्य : श्री शिवरतन शर्मा)	15 मिनट
5. (क्रमांक - 13)	यह सदन केन्द्र सरकार से अनुरोध करता है कि "छत्तीसगढ़ राज्य में निवासरत मछुआरा समुदाय-कैवट, धीवर, कहार, कहरा, मल्लाह जाति को अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में शामिल किया जाये"। (प्रस्तुतकर्ता सदस्य - श्री सत्यनारायण शर्मा)	15 मिनट

दिनेश शर्मा
सचिव.